न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बेगसर

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2017/173 दायर दिनांक 20.06.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामेश्वरलाल पुत्र घासीराम जाति दरोगा निवासी बेगसर तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. गोपाल पुत्र नारायण 2. पपू पुत्र नारायण समस्त जाति दरोगा निवासी बेगसर तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 3. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत्

दावा बाबत घोषणा खातेदारी

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि.

उपस्थित—

1. श्री समन्दरसिंह नाथावत, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री राजेशकुमार , अधिवक्ता, प्रतिवादीगण सं0 01,।

—:: निर्णय ::—

दिनांक **11.07.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा बेगसर की शहरद मे खेत ख.न. 549/448 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा,स्थित है।जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 की पैत्रिक व कब्जे काश्त की है।नकल खतौनी सम्वत 2059—2062 पेश है।

वादी संख्या एक के पिता घासीराम के दो पुत्र रामेश्वरलाल, व नारायण, हुए।नारायण फौत हो चुके है। जिनके वारिसान में महावीर व नेमाराम कुवारे ही फौत हो चुके है।तथा नारायण की पत्नि अजोध्यादेवी भी फौत हो चुकी है।नारायण के वारिसान में प्रतिवादी संख्या .01 ता 02 है।

वादी के पिता घासीराम ने अपने जीवनकाल में ही अपने हिस्से की सम्पुर्ण जमीन का 1/2—1/2बन्टवारा कर अपने दोनो पुत्र रामेश्वरलाल, नारायण, को दे दी थी तब से रामेश्वरलाल, नारायण, अलग—अलग अपने बन्ट की जमीन पर काश्त करते थे।मगर वादी के पिता के स्वर्गवास के बाद उनके स्थान पर फौतगी म्युटेशन के वक्त वादी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017/173
दायर दिनांक 20.06.2017, निर्णय दिनांक 11.07.2017
रामेश्वरलाल बनाम गोपाल वगैराह।

नाबालिग होने के कारण उसका नाम खातेदारी में दर्ज नही हो सका।और सम्पुर्ण जमीन पर नारायण अकेले का नाम दर्ज हो गया जबकि मौके पर वादी का 1/2 हिस्से के बन्ट की जमीन पर कब्जा काश्त है।

वादी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है उनके फौतगी म्युटेशन में वादी का नाम खातेदारी में दर्ज होने का ज्ञान वादी जब पटवारी के पास सम्वत हाल में न्याय आपके द्वार केम्प बेगसर में किसान कार्ड बनवाने गया तब पटवारी ने बताया की आपका नाम खातेदारी में दर्ज नही है जबकि वादी अपने पिता के द्वारा दी गई 1/2 हिस्से की जमीन पर कब्जा काश्त मौके पर है। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 उक्त गलत खातेदारी की ओट में वादी के कब्जे काश्त की जमीन किसी अन्य को बैचने के फिराक में है।अगर प्रतिवादी वादी की जमीन गलत खातेदारी की ओट में किसी अन्य को बैचाण कर देगे तो वादी के जायज खातेदारी अधिकारो पर कुठाराघात होगा।वादी का खातेदारी मे नाम दर्ज नही होने से जायज खातेदारी अधिकार खतरे में पड. गये है। जिस हेतु वादीगण को घोषणा खातेदारी का दावा पेश करना लाजमी हुआ है। दावा घोषणा खातेदारी .का पेश है।

प्रार्थना वादी है कि

कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी सं 01 ता 02 डिक्री फरमाया जावे तथा मौजा बेगसर की शहरद मे खेत ख.न. 549/ 448 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा, में से 1/2 हिस्से की जमीन की खातेदारी वादी रामेश्वरलाल के नाम की घोषित की जावे तथा उपरोक्त खेत के खातेदार नेमाराम पुत्र नारायण का नाम खातेदारी से हटाया जाने का आदेश फरमाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 01, ने दिनांक 30.06.2017 को न्यायालय में राजीनामा पेश किया। पक्षकारान् जरिये राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमत हैं।

वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 द्वारा पेश किये गये राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गई जिसे पक्षकरान् द्वारा बिना किसी लालच या दबाव के सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री समन्दरसिंह नाथावत ने की व प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री राजेशकुमार ने की। अतः बख्वाहिश राजीनामा पक्षकारान् तस्दीक किया गया।

अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017 / 173
दायर दिनांक 20.06.2017, निणर्य दिनांक 11.07.2017
रामेश्वरलाल बनाम गोपाल वगैराह।

आदेश

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी सं 01 ता 02 डिकी फरमाया जाता है, तथा मौजा बेगसर की शहरद मे खेत ख.न. 549/ 448 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा, में से 1/2 हिस्से की जमीन की खातेदारी वादी रामेश्वरलाल के नाम घोषित की जाती है। वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा उपरोक्त खेत के खातेदार नेमाराम पुत्र नारायण का नाम खातेदारी से हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **11.07.2017** को कोंट केम्प ग्राम पंचायत बेगसर सरे आम सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमे इब्तदाइ
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
कोर्ट केम्प ग्रम पंचायत बेगसर

बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 173 /2017 दायर दिनांक 20.06.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामेश्वरलाल पुत्र घासीराम जाति दरोगा निवासी बेगसर तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. गोपाल पुत्र नारायण 2. पपू पुत्र नारायण समस्त जाति दरोगा निवासी बेगसर तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 3. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्

दावा बाबत घोषणा खातेदारी

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि.

दिनांक 11.07.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई वादी स्वयं व प्रतिवादीगण सं0 1,स्वयं *उपस्थित की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–*

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, कि मौजा बेगसर की शहरद मे खेत ख.न. 549/448 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा, में से 1/2 हिस्से की जमीन की खातेदारी वादी रामेश्वरलाल के नाम घोषित की जाती है। वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा उपरोक्त खेत के खातेदार नेमाराम पुत्र नारायण का नाम खातेदारी से हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

इसी अनुरुप पृथक खसरा, रकबा, लगान कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 11. 07..2017 को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner